उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

'पिकप भवन' तृतीय तल, बी–ब्लाक, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

संदर्भ संख्या F-72727/सी-७/एनओसी/५३७/१० दिनांक 12-1-11

सेवा में,

मे0 गर्व बिल्डर्स प्रा०लि०
(ओमेक्स हाइटेक टाउनशिप)
कल्ली पश्चिम मार्ग, अहमदनगर,
लखनऊ।

विषय : ~~पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से / नई इकाई की स्थापना हेतु / कार्यरत इकाई की उत्पादन क्षमता में विस्तार / संयंत्रों के नवीनीकरण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गमन~~
जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम-१९७४ एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, १९८१ के प्राविधानों के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र दिनाँक १६.९.१० का संदर्भ लें। आपके आवेदन पर विचार किया गया है तथा कृपया अवगत हो कि उद्योग को पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों (संलग्नक) के समुचित अनुपालन के साथ सशर्त अनापत्ति स्वीकृत की जाती है।

1. अनापत्ति प्रमाण–पत्र निम्नलिखित विशिष्ट विवरणों के लिए ही निर्गत किया जा रहा है :-

   (क) स्थल : ओमेक्स हाइटेक टाउनशिप, कल्ली पश्चिम, मार्ग, अहमदनगर खुर्द, अशरफ नगर, अहमद नगर, लखनऊ

   (ख) उत्पादन : कुल बिल्टअप क्षेत्रफल- १४९,६९,२६२.४१ वर्गमीटर में हाईटेक टाउनशिप का निर्माण

(ग) मुख्य कच्चे माल :

भवन निर्माण सामग्री

(घ) औद्योगिक उत्प्रवाह की मात्रा : शून्य

(ङ.) प्रयुक्त ईंधन : २५० के०वी०ए० के २ तथा 3 के०वी०ए० के दो डी०जी०सेट

उपर्युक्त विष¯ वस्तु में किसी भी प्रकार से परिवर्तन करने पर पुनः अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

2. उद्योग में सभी आवश्यक यंत्र, संयंत्र, हरित पट्टिका, उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना में की गयी प्रगति रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रत्येक माह की दसवीं तारीख तक निरंतर प्रेषित करें।

3. उद्योग इकाई में परीक्षण उत्पादन तब तक प्रारम्भ नहीं करें जब तक कि वह बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियमों के अन्तर्गत सहमति प्राप्त न कर लें। जल एवं वायु सहमति प्राप्त करने हेतु इकाई ने उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से कम से कम 2 माह पहले निर्धारित सहमति आवेदन पत्रों को उत्पादन पूर्व प्रथम आवेदन का उल्लेख करते हुए इस कार्यालय में अवश्य ही जमा कर दिया जाए। यदि उद्योग उपरोक्त का अनुपालन नहीं करता है तो उक्त अधिनियमों के वैधानिक प्राविधानों के अर्न्तगत उद्योग के विरूद्ध बिना किसी पूर्व सूचना के विधिक कार्यवाही की जा सकती है।

4. उद्योग में परीक्षण उत्पादन के पूर्व हमारे क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा इकाई का निरीक्षण सुनिश्चित किया जाए।

5. **घरेलू उत्प्रवाह, जिसकी मात्रा ......५२ एम०एल०डी०...................... से अधिक नहीं होगी। सेप्टिक टैंक एवं सोक पिट के माध्यम से बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप शुद्धिकृत कर निस्तारित किया जाए।**

6. **प्रदूषण नियन्त्रण हेतु प्रस्तावित शुद्धिकरण संयंत्र तथा निर्माण कार्य आपूर्ति के लिये दिये गए आदेश की प्रति इस कार्यालय में दिनांक ....३०.१.११...................... तक अवश्य प्रस्तुत की जाए।**

७. टाउनशिप भूखण्ड स्थल पर निर्माण कार्य संबंधित सक्षम विभाग द्वारा स्वीकृत मानचित्र मे अंकित शर्तो के अधीन किया जाना सुनिश्चित करें।

८. प्रस्तावित फर्म द्वारा प्रस्तुत रैपिड पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट की संस्तुतियों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

९. हाइटेक टाउनशिप भूखण्ड स्थल पर कुल बिल्टअप क्षेत्रफल १४९,६१,२६२.४१ वर्गमीटर से अधिक न हो।

१०. हाइटेक टाउनशिप स्थल के अन्दर कल्ली पश्चिम माती खुर्द आशरफ नगर, एवं कमलापुर ग्राम है जिन्हें पूर्ण रूप से सुरक्षित रखा जायेगा।

११. हाइटेक टाउनशिप स्थल पर पेड अधिक हैं जिन्हें सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा तथा पेड काटे जाने की दशा में वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जयेगा एवं टाउन शिप स्थल में पडने वाले तालाबों को पूर्ण रूप से सुरक्षित रखा जायेगा।

१२.हाइटेक टाउनशिप के निर्माण के दौरान वाहनों का आवागमन इस प्रकार करें कि आसपास आबादी के स्वास्थ्य पर कुप्रभाव न पडे।

१३.हाइटेक टाउनशिप का प्रदूषित उत्प्रवाह किसी भी दशा में तालाब/झील इत्यादि में निस्तारित नहीं किया जायेगा।

१४.हाइटेक टाउनशिप द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के नोटिफिकेशन दि०-.४. [illegible] अनुक्रम में स्टेट लेबल एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी, उ०प्र० से पर्यावरणीय क्लीयरेंस प्राप्त किया जाये।

१५. हाइटेक टाउनशिप की स्थपना से पूर्व एयरपोर्ट एथारिटी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

१६. टाउनशिप में स्थापित किये जा रहे ५८ नलकूपों का तकनीकी विवरण तीन माह में प्रस्तुत करें तथा भूजल से आपूर्ति हेतु सक्षम अधिकारी से पूर्वानुमति प्राप्त किया जाये।

१७. हाइटेक टाउनशिप के निर्माण के दौरान मजदूरों से जनित घरेलू मल-जल के शोधन हेतु उपयुक्त क्षमता का सेप्टक टैक/सोकपिट स्थपित किया जाना सुनिश्चित करें।

१८. नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्ध एवं हथालन) नियम १९८९ का तत्पश्चात प्रख्यापित २००० के विभिन्न प्राविधानों का अक्षरशः अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

१९. हाइटेक टाउनशिप पर नियमानुसार रेन वाटर हावेस्टिंग व्यवस्था स्थापित करें।

२०. हाइटेक टाउनशिप स्थल पर नियमानुसार कम से कम ३० प्रतिशत क्षेत्रफल में हरित पट्टिका विकसित करें एवम् टाउनशिप में कुल ४४४२ पेडों को सुरक्षित रखा जाये तथा काटने से पूर्व वन विभाग से पूर्वानुमति प्राप्त किया जाये।

२१. बोर्ड द्वारा पूर्व प्रेषित पत्र दि०-२१.१२.१० के अनुक्रम में वांछित रू० दस लाख की बैंक गारंटी शीघ्र प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

कृपया उपरोक्त अंकित शर्तो में सं क्रम सं०-७,८,९,१०,१३,१४,१५ संवेदनशील श्रेणी की है, उक्त का अनुपालन निर्धारित समयावधि में करने के उद्देश्य से रूपये एक लाख की बैंक गारंटी वांछित है। उपरोक्त बैंक गारंटी आदेश पत्र निर्गमन तिथि से पन्द्रह दिन के अन्दर संलग्न प्ररूप में अंकित कराकर प्रेषित करना सुनिश्चित करें । अन्यथा यह सहमति रिवोक की जा सकती है।

कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त लिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों का प्रभावी एवं संतोषजनक अनुपालन न करने पर बोर्ड द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। बोर्ड का अधिकार सुरक्षित है कि अनापत्ति की शर्तों में संशोधन किया जाय अथवा निरस्त कर दिया जाय। उपर्युक्त विशिष्ट एंव सामान्य शर्तों के सम्बन्ध में उद्योग द्वारा इस कार्यालय में दिनांक ......३०.१.११...... तक प्रथम अनुपालन आख्या अवश्य प्रेषित की जाए। अनुपालन आख्या नियमित प्रेषित की जाए अन्यथा अनापत्ति निरस्त कर दी जाएगी।

भवदीय

सदस्य सचिव

3/1/11

पृष्ठांकन सं. /एन. ओ. सी. तद दिनांक

प्रतिलिपि :

1. ~~महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र~~ :......लखनऊ [illegible], [illegible]......

2. उपकर अधिकारी, उ. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड :......लखनऊ......

4. ......

मुख्य पर्यावरण अधिकारी